

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, (एन.सी.आर.), गुरुग्राम
3. सभी उप निर्देशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य।
5. सभी उप श्रम आयुक्त, पंचकूला, हरियाणा राज्य।
6. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
9. सभी सहायक निदेशक, औस्वा०-कम-सर्टीफाईंग सर्जन, हरियाणा राज्य।
10. कल्याण अधिकारी (महिला), पानीपत व फरीदाबाद।

क्रमांक: स्था०/०४/२०२१/८३९६-८४८६ दिनांक: १६/०४/२०२१


विषय:-

**Regarding making necessary arrangements for implementation of e-office  
in all departments' district HQ/field offices.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक १३.०४.२०२१ को सांय ०४:०० बजे हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में डॉ राकेश गुप्ता, पी.डी.-सीएमजीजीए की अध्यक्षता में ई-ऑफिस से संबंधित एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना है। पत्र के माध्यम से निर्देश दिए गये हैं कि मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी फाईलें ऑन लाईन ई-ऑफिस के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाए।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी फाईलें ऑन-लाईन ई-ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत की जाए। अतः आप इसे अति आवश्यक समझें।

  
अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा०),  
कृत: श्रम आयुक्त, हरियाणा।